

क्र.सं.-1

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर -05

क्रमांक: एफ 15(1)आयु.उ./पंजी.अनु./ल.उ.प.नीति/2006

दिनांक 23-3-2007

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
2. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी,
जिला उद्योग उप-केन्द्र,
समस्त।

विषय:-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006-एक्शन टेकन एण्ड
सजेशन-रिकार्डिंग।

महोदय,

कार्यालय विकास आयुक्त,(लघु उद्योग) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 5(2)
/2005- एसएसआई. बीडी. एण्ड पोल(पार्ट) दिनांक 4.12.2006 जो इस कार्यालय के
समसंख्यक पत्रांक दिनांक 15.12.2006 के द्वारा समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों तथा
जिला उद्योग उप-केन्द्रों को पृष्ठांकित किया गया है, के बिन्दू सं. 2 के कम में अधिनियम के
अनुसार उद्यमों की प्रमुख दो श्रेणी (1)उत्पादन (2) सेवा प्रक्रिया मानी गई है। इसी प्रकार प्रत्येक
श्रेणी के उद्यमों में विनियोजन के आधार पर तीन श्रेणीयां (1)सूक्ष्म (2) लघु एवं (3) मध्यम
परिभाषित हैं।

अतः भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 4.12.2006 के बिन्दू सं. 2 के कम में पार्ट-1 एवं
पार्ट-2 हेतु कुल 12 रजिस्टर संधारित होंगे तथा इसी कम में प्रत्येक श्रेणी के लिये ई.एम. नम्बर
00001 से प्रारम्भ किये जाने हैं।

भवदीय,

आयुक्त, उद्योग